

किया गया। संशोधित निर्णय व डिडी TDR मंडरायल अंतर्बन्धन
 स्कीम के लिए त्रिजवाडी जावे। पत्रावली वास्तु इंजिनर बंधवारा
 स्कीम दिनांक 18.1.17 अं पेश हो। (5)

18.1.17

पत्रावली पेश हुई। वकील फरीबेन उपास्थिता बंधवारा प्रस्ताव पर वकील
 फरीबेन से सुना गया। वकील फरीबेन बंधवारा प्रस्ताव से सहमत हैं।
 अतः दस्ता वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण आन्तम डिडी किया जा रहा है।
 विवादित आराजी ख.नं. 279/4 रकबा 05 बिस्वा ग्राम - मंडरायल एवं
 आराजी ख.नं. 236/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा ग्राम फिरोजपुर वादीगण से
 हिस्से खातेदारी व कब्जे में रहेगी। ख.नं. 278 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा,
 ख.नं. 279/3 रकबा 13 बिस्वा ग्राम मंडरायल एवं ख.नं. 236/3 रकबा -
 3 बीघा 05 बिस्वा, ख.नं. 272/1 रकबा 16 बिस्वा, ख.नं. 273 रकबा 1 बीघा
 15 बिस्वा, ख.नं. 276/2 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, ख.नं. 277 रकबा
 17 बिस्वा, ख.नं. 279/2 रकबा 18 बिस्वा, ख.नं. 280 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा
 ग्राम फिरोजपुर प्रतिवादी नं. 12 के हिस्से खातेदारी व कब्जे में रहेगी तथा
 आराजी ख.नं. 279/1 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा ग्राम - मंडरायल प्रतिवादी नं.
 1 ग 3 व लाडो पुत्री केदार हिस्सा 1/47, प्रतिवादी नं. 4 व 5 हिस्सा 3/47,
 प्रतिवादी नं. 6 हिस्सा 1/47, प्रतिवादी नं. 7 ग 9 हिस्सा 16/47 तथा प्रतिवादी
 नं. 10 व 11 का हिस्सा 26/47 रहेगा। तथा ख.नं. - 236/1 रकबा 3 बीघा
 16 बिस्वा, ख.नं. 259 रकबा 17 बिस्वा, ख.नं. 260 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा
 ख.नं. 271 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, ख.नं. 274/1 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा,
 ख.नं. 275 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख.नं. 279/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा,
 ख.नं. 280/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल डि.ग 8 कुल रकबा 15 बीघा
 18 बिस्वा वांटे ग्राम फिरोजपुर में प्रतिवादी नं. 1 ग 3 व लाडो पुत्री केदार
 एवं प्रतिवादी नं. 4 ग 9 का हिस्सा 173/318 एवं प्रतिवादी नं. 10 व 11
 का हिस्सा 145/318 ग्राम फिरोजपुर तह 0 मंडरायल हिस्से खातेदारी व
 कब्जे में रहेगी। इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के हक में राजस्व
 रिमाई में अलग - 2 खातेदारी इन्ड्रज किये जावे। बंधवारा प्रस्ताव
 निर्णय व डिडी का भुज रहेगा। तदनुसार आन्तम फर्वा डिडी जारी हो
 पत्रावली दाखिल दफ्तर हो निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

मंडरायल (करोली)